

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) वापु

सप्त देवी बनाम मोहनलाल वीरा


किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 RLR नं. 369/21 सन्. 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
23/12/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सहायक कलक्टर</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111 + 128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/01/2022 को पेश हो।</p>	सहायक कलक्टर (SDO) वापु
24/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिष्ठित/विजयगिरी</p> <p>के नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड</p> <p>एडी मिजवाफे गये जिनकी डिलीवरी</p> <p>वास्ते प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की</p> <p>गई, जिसे शामिल पत्रावली विजा गपा</p> <p>प्रीमान पीठलीन क्विडारी डिग्न डाय</p> <p>में व्यक्त होने से मिवाल इन्तक्य डेडा</p> <p>सागगी दिनांक - 28/02/2022 को पेश की</p>	


28/02/2022

पार्थी वहील उपस्थित / विद्यार्थीगण
 लावजुस सूचना अनुपस्थित / न्यायालय समय
 तीन बार लावाजुस लगाई गई है। कोर्टियम के बावजूद
 5.45 PM पर लगाई गई विद्यार्थीगण स्वयं
 या उनकी कोर्ट से कोई प्रतिबन्ध व प्रति-
 भाषण को उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके
 विरुद्ध एडवोकेट कार्यालयी क्रमल में लहई जाती
 है। कल: वाल्मे वदल पत्रावली दिनांक -
 23/03/2022 को पेश है।

सहायक कालक्टर
 (SDO) भातल



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 181

दिनांक:- 23/3/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. झमु देवी पत्नि झीम्पाराम,
जाति मेगवाल, निवासी कुम्पलिया,
पटवार मण्डल कुम्पलिया,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. मोहनलाल पुत्र जेठाराम वगैरा 04,
जाति मेगवाल, निवासी कुम्पलिया,
पटवार मण्डल कुम्पलिया,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 369 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कुम्पलिया, पटवार मण्डल - कुम्पलिया, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 749/691 रकबा 0.1781 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत

किया गया है।



कमांक / वाद / 2022 / 182-18-6

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमती झमु देवी पत्नि झीम्पाराम,
4. विप्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र जेठाराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- (S.D.O.) बा.

सहायक कलक्टर
उपखण्ड (अधिका) बायतु